न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 46/2016

सरकार जरीये श्री रेवंतसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री मदनलाल कुमावत पुत्र श्री बालुराम कुमावत उम्र–41वर्ष (एफबीओ/मालिक)

फर्म– मैसर्स लहरिया स्वीट, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर

निवासी– पपसा भाटी का किराया मकान, कुम्हारो का बास, भगत की कोठी, जोधपुर

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)क्रार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/ रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री रेवंत सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री मदनलाल कुमावत पुत्र श्री बालुराम कुमावत उम्र–41वर्ष फर्म– मैसर्स लहरिया स्वीट, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर निवासी– पपसा भाटी का किराया मकान, कुम्हारो का बास, भगत की कोठी, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र,

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री मदनलाल कुमावत पुत्र श्री बालुराम कुमावत उम्र–41वर्ष (एफबीओ / मालिक)
फर्म– मैसर्स लहरिया स्वीट, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर
निवासी– पपसा भाटी का किराया मकान, कुम्हारो का बास, भगत की कोठी, जोधपुर

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)क्रार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट / रीडर / 2012 / 1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री रेवंत सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री मदनलाल कुमावत पुत्र श्री बालुराम कुमावत उम्र–41वर्ष फर्म– मैसर्स लहरिया स्वीट, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर निवासी– पपसा भाटी का किराया मकान, कुम्हारो का बास, भगत की कोठी, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, संशोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र–5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, पहचान पत्र मदनलाल कुमावत, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र लहरिया स्वीटस, नमूना एम–1201 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना

एम–1201 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एम–1201 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एम–1201 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 14542–43 ,जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस 827/एक्ट/2016/848 की प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 19.07.2016 को 05.15 पी.एम अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत पुत्र श्री बालुराम कुमावत उम्र–41वर्ष फर्म– मैसर्स लहरिया स्वीट, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर निवासी– पपसा भाटी का किराया मकान, कुम्हारो का बास, भगत की कोठी, जोधपुर उपस्थित मिलने पर श्री मदनलाल कुमावत को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता ने वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो इन्होने 12214032000576 एवं स्वंय का पहचान पत्र पेश किया ।

उपरोक्त दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान शौकेस काउन्टर में एक स्टील ट्रे में मावा करीबन 2 किलोग्राम आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के समक्ष विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाहान के सामने विकेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 360/– नगद देकर मावा 1 किलोग्राम वास्ते जांच खरीदा एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा मावा को एक रूप कर चार साफा सुखी एवं खाली नयी कांच की शीशी में (250ग्राम) बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बन्दे बतौर प्रिजरवेटिव की डाली एवं प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता एवं गवाह के समक्ष चार लेबल तैयार किये जिस पर डीओ कोड व सीरियल न. एम'–1201 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनो पर एम–1201 चार पेपर स्लिप एम–1201 हस्ताक्षर युक्त डॉ अनिल कुमार मित्तल अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विकेता के हस्ताक्षर करवायें। मौका फर्द मौके पर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 19.07.2016 को 05.15 पी.एम अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत पुत्र श्री बालुराम कुमावत उम्र–41वर्ष फर्म– मैसर्स लहरिया स्वीट, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर निवासी– पपसा भाटी का किराया मकान, कुम्हारो का बास, भगत की कोठी, जोधपुर उपस्थित मिलने पर श्री मदनलाल कुमावत को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता ने वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो इन्होने 12214032000576 एवं स्वंय का पहचान पत्र पेश किया ।

उपरोक्त दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान शौकेस काउन्टर में एक स्टील ट्रे में **मावा करीबन 2 किलोग्राम** आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के समक्ष विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाहान के सामने विकेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 360/– नगद देकर **मावा 1 किलोग्राम** वास्ते जांच खरीदा एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा मावा को एक रूप कर चार साफा सुखी एवं खाली नयी कांच की शीशी में (250ग्राम) बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बन्दे बतौर प्रिजरवेटिव की डाली एवं प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता एवं गवाह के समक्ष चार लेबल तैयार किये जिस पर डीओ कोड व सीरियल न. एम'–1201 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनो पर एम–1201 चार पेपर स्लिप एम–1201 हस्ताक्षर युक्त डॉ अनिल कुमार मित्तल अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विकेता के हस्ताक्षर करवायें। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढ़कर सुनाकर समझाकर होश हवास में स्वयं, गवाह व विकेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक,

जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा दिनांक 20.07.2016 को खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एम–1201 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 19.07.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 19.07.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

यह कि अभिहित अधिकारी के पत्र कमांक 14542–43 दिनांक 26.07.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस. 827/एक्ट/2016/848 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **मावा** का नमूना **अवमानकस्तर** (Sub-Standred/ Does not Conform) होना पाया गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोधपुर एवं अभिहित अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफएसएसए /2016/ स्वीकृति/ एम–1201/20121–22 दिनांक 13.10.2016 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने अवमानकस्तर (Sub-Standred/ Does not Conform) **मावा** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 17-10-16 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री मदनलाल कुमावत को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत ने दिनांक 25.11.2016 को लिखित में जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया की उक्त मावे मे फैट की मात्रा कम पाई गई जिसका मुझे ज्ञान नही था मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करने एवं कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस. 827/एक्ट/2016/848 दिनांक 22.07.2016 द्वारा अप्रार्थीगण श्री मदनलाल कुमावत की दुकान से लिया गया सैम्पल नमूना संख्या एम–1201 जांच रिपोर्ट में अवमानकस्तर (Sub-Standred/ Does not Conform) होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है ...

यह कि अभिहित अधिकारी के पत्र क्रमांक 14542–43 दिनांक 26.07.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस. 827/एक्ट/2016/848 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **मावा** का नमूना **अवमानकस्तर** (Sub-Standred/ Does not Conform) होना पाया गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोधपुर एवं अभिहित अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफएसएसए /2016/ स्वीकृति/ एम–1201/20121–22 दिनांक 13.10.2016 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने अवमानकस्तर (Sub-Standred/ Does not Conform) **मावा** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 17-10-16 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री मदनलाल कुमावत को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत ने दिनांक 25.11.2016 को लिखित में जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया की उक्त मावे मे फैट की मात्रा कम पाई गई जिसका मुझे ज्ञान नही था मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करने एवं कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस. 827/एक्ट/2016/848 दिनांक 22.07.2016 द्वारा अप्रार्थीगण श्री मदनलाल कुमावत की दुकान से लिया गया सैम्पल नमूना संख्या एम–1201 जांच रिपोर्ट में अवमानकस्तर (Sub-Standred/ Does not Conform) होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। लेकिन अप्रार्थी

न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत पर राशि रूपये 8000 (अखरे रूपये आठ हजार मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11/2/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर

क्रमांक :- 654-657 दिनांक :- 11-2-2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
4. श्री मदनलाल कुमावत पुत्र श्री बालुराम कुमावत उम्र–41वर्ष (एफबीओ / मालिक)
   फर्म– मैसर्स लहरिया स्वीट, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर
   निवासी– पपसा भाटी का किराया मकान, कुम्हारो का बास, भगत की कोठी, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर